भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1283
दिनांक 11.02.2025 को उत्तरित

राज्यों का कार्य-निष्पादन

†1283. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(1) पंचायती राज मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत किए गए कार्यों के संदर्भ में राज्यों के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(2) राज्यों के संतोषजनक कार्य-निष्पादन के लिए जिम्मेदार कारक क्या हैं;

(3) इस संबंध में कुछ राज्यों के असंतोषजनक कार्य-निष्पादन के क्या कारण हैं; और

(4) सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रमों के संदर्भ में राज्यों के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना और गांवों में आबादी वाले क्षेत्रों में घरों के मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करने के लिए गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा मानचित्रण (स्वामित्व) की केंद्रीय क्षेत्र योजना का राज्यवार कार्य-निष्पादन क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिया गया है।

(ख) से (घ) बैठकों, वीडियो-कॉन्फ्रेंस, नियमित फीडबैक, डैशबोर्ड डेटा, जारी की गई धनराशि के लिए समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की मांग, हितधारकों के साथ प्रभावी समन्वय आदि के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की बारीक और गहन निगरानी संतोषजनक कार्य-निष्पादन के कारक हैं। योजना से विशिष्ट कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां हैं। उदाहरण के लिए, स्वामित्व योजना के मामलें में राज्यों द्वारा चिन्हित गांवों को पर्याप्त चूना उपलब्ध कराने में देरी, गतिविधियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति, प्रतिकूल मौसम, कुछ राज्यों में दुर्गम क्षेत्र, हवाई अड्डों के आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन उड़ान की अनुमति में देरी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसे कुछ कारक हैं जो स्वामित्व योजना के तहत राज्यों के कार्य-निष्पादन को प्रभावित करते हैं।

मंत्रालय की योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए पहले से ही अपनाए गए कदम भविष्य में भी जारी रहेंगे। इसके अलावा, आरजीएसए योजना के लिए, वास्तविक समय प्रशिक्षण निगरानी की सुविधा के लिए एक प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) विकसित और संचालित किया गया है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारक, जो विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि से आते हैं, के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए विभिन्न लक्षित समूहों के लिए वर्चुअल और आमने-सामने प्रशिक्षण का एक उपयुक्त मिश्रण अपनाया गया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशिक्षण की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न

लक्षित समूहों के लिए अनुरूप ऑडियो-विजुअल प्रशिक्षण सामग्री और मॉड्यूल जैसे एनीमेशन वीडियो, ऑडियो, ई-पोस्टर आदि तैयार करने का भी सुझाव दिया गया है। साथ ही, योजना के तहत अनुदान जारी करने और उसकी ट्रैकिंग के लिए लेनदेन आधारित सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) शुरू की गई है।

***

अनुबंध-I

राज्यों का कार्य-निष्पादन के संबंध में दिनांक 11.02.2025 को उत्तरित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1283 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित राज्यवार प्रतिभागी।

क्र.सं	राज्य	2023-24 में प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या	2024-25 में प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2865	4264
2	आंध्र प्रदेश	165001	266575
3	अरुणाचल प्रदेश	6138	4942
4	असम	348183	112279
5	बिहार	163809	307016
6	छत्तीसगढ़	163292	82376
7	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1000	767
8	गोवा	3548	3254
9	गुजरात	1938	67488
10	हरियाणा	12431	9691
11	हिमाचल प्रदेश	92458	99893
12	जम्मू और कश्मीर	350026	78192
13	झारखंड	54056	59410
14	कर्नाटक	363317	203572
15	केरल	149153	106473
16	लद्दाख	0	26
17	लक्षद्वीप	0	0
18	मध्य प्रदेश	86884	138609
19	महाराष्ट्र	984321	314972
20	मणिपुर	5591	153
21	मेघालय	74410	5827
22	मिजोरम	9800	2394
23	नागालैंड	3435	2696
24	ओडिशा	160774	149714
25	पुदुचेरी	0	0
26	पंजाब	13359	103067
27	राजस्थान	96389	15547
28	सिक्किम	11249	2601
29	तमिलनाडु	101513	67165
30	तेलंगाना	2441	1616
31	त्रिपुरा	63715	23098
32	उत्तराखंड	82712	19106
33	उत्तर प्रदेश	144374	86860
34	पश्चिम बंगाल	272762	225141
	कुल	**3990944**	**2564784**

नोट: 4 फरवरी, 2025 तक

अनुबंध -II

राज्यों का कार्य-निष्पादन के संबंध में दिनांक 11.02.2025 को उत्तरित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1283 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन उड़ाने और संपत्ति कार्ड तैयार करने/जारी करने के मामले में राज्यवार प्रगति

क्र.सं	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	अधिसूचित गांव#	ड्रोन उड़ान वाले गांव	तैयार किए गए संपत्ति कार्ड वाले गाँव	तैयार किये गये संपत्ति कार्डों की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	186	186	141	7409
2	आंध्र प्रदेश	13321	13321	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	5596	3399	0	0
4	असम	1074	946	0	0
5	छत्तीसगढ़	15791	15791	1200	67751
6	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	80	80	75	4397
7	दिल्ली	31	31	0	0
8	गोवा	410	410	410	672646
9	गुजरात	15052	13949	7237	1228586
10	हरियाणा	6260	6260	6260	2515646
11	हिमाचल प्रदेश	15196	13870	238	5395
12	जम्मू और कश्मीर	4431	4398	1006	39204
13	झारखंड	757	240	0	0
14	कर्नाटक	30715	16855	3763	1003991
15	केरल	1550	597	0	0
16	लद्दाख	230	230	148	15623
17	लक्षद्वीप	10	10	0	0
18	मध्य प्रदेश	43014	43014	33929	3994343
19	महाराष्ट्र	37819	37609	15708	2441286
20	मणिपुर	3856	209	0	0
21	मिजोरम	550	319	27	2909
22	ओडिशा	3054	2724	43	1500
23	पुदुचेरी	96	96	92	2801
24	पंजाब	12083	10458	178	24089
25	राजस्थान	36,352	35721	13,310	861986
26	सिक्किम	1	1	0	0
27	तमिलनाडु	3	3	0	0
28	तेलंगाना	5	5	0	0
29	त्रिपुरा	893	19	893	571783
30	उत्तर प्रदेश	90573	90573	67408	10131232
31	उत्तराखंड	7441	7441	7441	278229
	कुल	**3,46,183**	**318765**	**159507**	**23870806**

नोट: 6 फरवरी, 2025 तक। # राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के अनुसार गांवों की संख्या

***